न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मिसल न0 15 /प्रा0पत्र/23

तारीख दायरा 27.02.2023

राज0 सरकार जरिये पुलिस थाना खानपुर

बनाम्

मनोहर वगे0

प्रथम सूचना रिपोर्ट स0 374/2022 थाना खानपुर
जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम
प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6क वास्ते सुपुर्दगी वाहन पिकअप
रजि0 नं0 एमपी 08 जी ए 4207

उपस्थितः– सहायक निदेशक अभियोजन
श्री राधेश्याम गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांकः 07.02.2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी माकना बिलाला पुत्र कालू बिलाला निवासी ककरूआ थाना बम्बोरी जिला गुना मध्यप्रदेश जो प्रकरण में अप्रार्थी है द्वारा जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड़ द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 के जुर्म में प्रार्थी का एक वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 08 जी ए 4207 जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त पिकअप को अपने दैनिक व्यवसायिक कार्यो मे आवश्यकता पडती है। पिकअप के थाने मे खुले मे पडे रहने से उसके रंग व कलपुर्जे खराब होने की पूरी संभावना है। पिकअप को प्रार्थी (अप्रार्थी) के सुपुर्दगी मे दिये जाने के बाद प्रार्थी (अप्रार्थी) सुरक्षित रखेगा तथा कही पर विक्रय या खुर्दबुर्द नही करेगा तथा किसी प्रकार के रंग रोगन मे बदलाव नही करेगा। माननीय न्यायालय जब भी वाहन को तलब करेगा तो वाहन लेकर न्यायालय हाजा मे उपस्थित हो जावेगा। वाहन की सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस डायरी 6 के अंतर्गत रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 08 जी ए 4207 को अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जब्त किया गया है। जप्त वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 08 जी ए 4207 में 05 गोवंश ठूस ठूस कर भरा होना व रस्सी से बंधे होकर उल्टे सीधे पड़े होना अंकन किया गया है तथा वाहन में गोवंश को लाने ले जानें का कोई वैधानिक दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा वक्त गिरफतारी नहीं बताया गया। इससे प्रथम दृष्टया गोवंशों की तस्करी किया जाना प्रमाणित होता है।

प्रार्थी की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन ने प्रार्थी थानाधिकारी खानपुर द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि पुलिस थाना खानपुर ने अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8व 9 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा संम्बधित थानाधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 08 जी ए 4207 को बतोर साधन जप्त किया है। जप्त वाहन को राजसात किया जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
झालावाड़

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में बताया कि अप्रार्थी माकना बिलाला पुत्र कालू बिलाला निवासी ककरूआ थाना बम्बोरी जिला गुना मध्यप्रदेश उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है वाहन संगीन अपराध में लिप्त नहीं है तथा जप्त वाहन खुले में थाना परिसर में खड़ा हुआ है पुलिस को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है अगर वाहन जप्त रहता है देखभाल के अभाव में खराब हो जावेगा तथा वाहन जप्त रहने से अप्रार्थी को नित्य व्यावसायिक कार्य को करने में असुविधा होगी। इस बावत अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत डेहरा जनपद पंचायत बमौरी जिला गुना की ओर जारी कृषि कार्य हेतु अपने बेलों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने का प्रमाण पत्र भी पेश किया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन पिकअप सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया गया पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक वाहन मालिक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे जप्त वाहन गोवंश के अवेद्य परिवहन में लिप्त नहीं होना माना जा सके।

प्रार्थना पत्र आर.बी.ए. एक्ट की धारा 6(क) पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 08 जी ए 4207 गोवंशीय पशुओं के अवेद्य परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है उक्त अधिनियम की धारा 6(क) के तहत जप्त वाहन को राजसात (Confiscate) किया जाना उचित पाते है। अधिनियम की धारा 6(क) में दिये गए प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए उक्त कृत्य के लिए वाहन वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 08 जी ए 4207 पर जुर्माना (fine) बीमा पॉलीसी दस्तावेज में अंकित राशि के बराबर राशि लगाया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6(क) खारिज किया जाता है। जप्त वाहन के मालिक को विकल्प दिया जाता है कि वे अन्दर 30 योम वाहन पिकअप रजि0 न0 एमपी 08 जी ए 4207 पर जुर्माना (fine) बीमा पॉलीसी दस्तावेज में अंकित राशि के बराबर राशि राजकोष में जमा करा दे तथा वाहन का मालिक होने के असल दस्तावेज पेश करे व उक्त वाहन अन्य किसी न्यायिक प्रकरण में वांछित ना हो तो वाहन को सम्बंधित मालिक की सुपुर्दगी में दिया जावे। बाद गुजरने म्याद जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (Confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांकः 7.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़